

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी सत्तू उर्फ संतोष, राजू उर्फ राजेश सहित एवं महेश की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि।

प्रकरण आज राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

आरोपी महेश की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आहतगण गोपाल पुत्र विजय सिंह तोमर, राधा पुत्री गोपाल सिंह एवं विमला पत्नी गोपाल सिंह तोमर, निवासीगण :- ग्राम लालन का पुरा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड ने अधिवक्ता श्री के.सी.उपाध्याय के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदकगण गोपाल, राधा एवं विमला ने उसके अधिवक्ता श्री के.सी.उपाध्याय के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.सं. प्रस्तुत किया।

फरियादी/आहत गोपाल, राधा एवं विमला अभियोजित अपराध की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादीगण/आवेदकगण तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र

भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर
प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

पंकज शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद